न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– एन. एम0 पहाडिया,, आई.ए.एस. जिला कलक्टर धौलपुर
मुकदमा नम्बर :– 48/2017 (Rcms No:-2017/00151)
उनवानी प्रकरण :–

1. रामविलास पुत्र जसबंत
2. बबलू पुत्र जगन्नाथ
   जातिगण गुर्जर निवासीगण छावई का पुरा तह0 बाडी जिला धौलपुर—प्रार्थीगण।

बनाम

1. केदार पुत्र कोकसिंह जाति गुर्जर निवासी म्हौरी तहसील बाडी जिला धौलपुर
2. हरीसिंह पुत्र सिरमौहर जाति गुर्जर निवासी म्हौरी तहसील बाडी जिला धौलपुर——अप्रार्थीगण।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970

उपस्थिति :–
प्रार्थीगण की ओर से :– श्री सत्यप्रकाश कौशिक अभिभाषक।

निर्णय दिनॉक :– 30.10.2018

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत इस आशय का पेश किया कि:–

1. आराजी खसरा नम्बर 614, 572, 443, 445, 505 एंव 311 व 774 वाके ग्राम मौहारी तहसील बाडी जिला धौलपुर गै0मु0 पहाड पटवार कागजात में दर्ज है। जिसका दिनांक 06.09.1975 को आवटंन सलाहकार समिति ने विभिन्न व्यक्ति हुब्बी, म्होरगिरि, मु0 मायादेवी, वीरवल, फतेसिंह, केदार, महेन्द्रसिंह, संतोष, राजेन्द्र, हरीसिंह, केदार, ईश्वरी, कप्तान, रतनसिंह, मूंगाराम, ग्यासी, ज्योति, रामविलास के हक में किया गया।
2. अप्रार्थीगण हरीसिंह पुत्र सिरमौहर जाति गुर्जर के हक में खसरा नम्बर 505 रकवा 5 वीघा एंव केदार पुत्र कोकसिंह के हक में खसरा नम्बर 505 रकवा 5 वीघा का आवन्टन किया।
3. उपरोक्त आराजीयात गै0मु0 पहाड है जो हमेशा से पशुओ के चरने के उपयोग में आ रही है । उक्त आराजीयात पर कभी कृषि नही हुई और ना अप्रार्थीगण अथवा अन्य किसी ने कोई फसल जोती बोई है क्योकि गै0मु0 पहाड पर कृषि होना संभव नही है ।
4. ग्यासी पुत्र पन्ना, ज्योति पुत्र गनेशी, रामविलास पुत्र गनेशी, रामजीलाल, पीर चौधरी, नत्थी एंव हरीसिंह के आवटनं माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12.05.1992 के द्वारा निरस्त कर दिये गये।

(नन्दमल पहाडिया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

5. अप्रार्थीगण द्वारा आवन्टन की किसी भी शर्त को पूरा नहीं किया है । क्योकि गै0मु0 पहाड जो हमेशा से पशुओ के चरने के उपयोग में लायी जाती रही है उसे आवटनं नही किया जा सकता है।
6. अप्रार्थीगण के हक में आवन्टित भूमि कृषि योग्य नही है तथा पहाड काबिल काश्त नही है। आवन्टन में घोर अनियमितता बरती गई है इसलिए अप्रार्थीगण के हक में हुए आवन्टन निरस्त किया जाना आवश्यक एंव न्याय संगत है।
7. आराजीयात नाकाबिल काश्त पहाड की भूमि है जो निःसंदेह खनिज सम्पदा की तारीफ में आती है। खसरा नम्बर 505 में से हुए आवटंन अवैध व निरस्तनीय है।
8. उपरोक्त आराजीयात गै0मु0 पहाड जो पशुओ के चरने के उपयोग में आ रही है। और प्रार्थीगण का कब्जा है।
9. जिस भूमि पर कृषक काश्त ही न कर सके आवटंन नही करना चाहिए। आर्थिक सुधार के तहत राज्य सरकार की नीतिओ के कारण भूमिहीन कृषको को आवटंन कराया जाता है लेकिन ऐसे आवटंन से यदि कोई आर्थिक सुधार नही हो सके तो ऐसी समस्त कार्यवाही सार्थक नही मानी जा सकती है। अतः आवटनं निरस्त किया जाना आवश्यक एंव न्यायोचित है। अतः अप्रार्थीगण के हक में हुए आवटंन दिनांक 06.09.1975 को निरस्त किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण के तलबी नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए। अप्रार्थीगण को कई बार आवाज दिलवाई गई परन्तु अप्रार्थीगण स्वंय अथवा जरिये अभिभाषक उपस्थित नही हुए। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 09.10.2017 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायालय आर.ए.ए. भरतपुर के निर्णय दिनांक 12.05.1992, राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 6.05.1994, न्यायालय जिलाधीश धौलपुर का प्रार्थना पत्र स्थगन आदेश, आवन्टन आदेश 2222–23 दिनांक 22.10.1975 उपखण्ड अधिकारी धौलपुर, आवन्टन हेतु आवेदन केदार, द्वितीय अपील राजस्व मण्डल अजमेर, आवन्टन आवेदन हरीसिंह, नामान्तरकरण संख्या 67 ग्राम मौहरी, नामान्तरकरण संख्या 66 ग्राम मौहरी, नामान्तरकरण संख्या 363 ग्राम मौहरी, नामान्तरकरण संख्या 347 ग्राम मौहरी, जमाबन्दी सम्बत 2059–2062 ग्रम मौहरी, जमाबन्दी ग्राम मौहरी सम्बत् 2034 से 2037 की प्रमाणित प्रति पेश की।

प्रकरण में दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात् निर्णय से पूर्व विवादित आराजी की वर्तमान रिकोर्ड स्थिति मौके की रिर्पोट एवं भूमि कृषि योग्य है अथवा नहीं की रिर्पोट तहसीलदार बाडी से लिये जाने के आदेश दिये गये ।

तहसीलदार बाडी ने अपनी रिर्पोट दिनांक 10.8.2018 के द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम मौहारी के खसरा नम्बर 673/505 रकवा 5 बीघा हरीसिहं पुत्र सिरमौहर जाति गूर्जर साकिन देह खातेदार राहिन पी. एन. बी. शाखा बाडी तथा खसरा नम्बर 662/505 रकवा 5 बीघा राजेश्वरी पत्नी दुर्गसिहं कौम गूजर साकिन जहानुपर के नाम दर्ज रिकोर्ड है। उक्त भूमि कृषि योग्य नहीं है तथा बंजड पडी हुई है। वर्तमान में औतार शांशाय मुकेश निरोती सुगरा बवलू पप्पू जातिगण गूजर निवासी छावरी का पुरा की एक झौपडी बनी हुई

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

है। तथा जगह जगह पत्थर पडें हुए है। आवंटियों द्वारा जो अब खातेदार दर्ज रिकोर्ड हैं मौके पर कभी काश्त नहीं की गई है।

प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बहस के दौरान कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 614, 572, 443, 445, 505 एंव 311 व 774 वाके ग्राम मौहारी तहसील बाडी जिला धौलपुर गै0मु0 पहाड पटवार कागजात में दर्ज है। जिसका दिनांक 06.09.1975 को आवटंन सलाहकार समिति ने विभिन्न व्यक्तियों के हक में आवटंन किया गया। अप्रार्थीगण हरीसिंह एंव केदार के हक में खसरा नम्बर 505 रकवा 5 वीघा का आवन्टन किया। उपरोक्त आराजीयात गै0मु0 पहाड है जो पशुओं के चरने के काम आती है । उक्त आराजीयात पर कभी कृषि नही हुई और ना अप्रार्थी अथवा अन्य किसी ने कोई फसल जोती बोई है क्योकि गै0मु0 पहाड पर कृषि होना संभव नही है । अप्रार्थीगण के अलावा अन्य व्यक्तियो के आवटंन माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12.05.1992 के द्वारा निरस्त कर दिये गये। जिसकी अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में की गई । माननीय राजस्व मण्डनल राजस्थान अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 26.5.94 द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज करते हुए माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनिांक 12.5.92 बहाल रखा । अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन की शर्तो का पालन नहीं की गई है । क्योकि गै0मु0 पहाड जो हमेशा से पशुओ के चरने के उपयोग में लायी जाती रही है उसे आवटंन नही किया जा सकता है। इसलिए अप्रार्थीगण के हक में हुए आवन्टन निरस्त किये जाना आवश्यक एंव न्याय संगत है। खसरा नम्बर 505 में से हुए आवटंन अवैध व निरस्तनीय है। उपरोक्त आराजीयात गै0मु0 पहाड जो पशुओ के चरने के उपयोग में आ रही है। जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा है। जिस भूमि पर कृषक काश्त ही न कर सके ऐसी भूमि को कृषि प्रयोजनार्थ आवटंन करना सरकार की मंशा अनुरूप सार्थक नही मानी जा सकती है। इन सभी तथ्यों की पुष्टि तहसीलदार बाडी से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 10.8.2018 से होती है। अतः आवटंन निरस्त किया जाना आवश्यक एंव न्यायोचित है। अतः अप्रार्थीगण के हक में हुए आवटंन दिनांक 06.09.1975 को निरस्त जावे।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषकग की एक पक्षीय बहस सुनने एवं पत्राबली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर मनन किया। बहस सुनने एवं रिकॉर्ड का अवलोकन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि :–

1. अप्रार्थीगण को आराजी खसरा नम्बर 505 ग्राम मौहारी मे से 5–5 बीघा भूमि किस्म परिवर्तित करते हुए आवन्टन सलाहकार समिति द्वारा नियमानुसार आवटित की गई।
2. आवन्टन से पूर्व उपरोक्त खसरा नम्बर राजस्व रिकॉर्ड में गै0मु0 पहाड दर्ज था।
3. तहसीलदार बाडी की रिर्पोट दिनांक 10.8.2018 के आधार पर विवादित आराजी कृषि योग्य नहीं है तथा बंजड पडी हुई है। वर्तमान में औतार शांशाय मुकेश निरोती सुगरा बवलू पप्पू जातिगण गूजर निवासी छावरी का पुरा की एक झौपडी बनी हुई है। तथा जगह जगह पत्थर पडें हुए है। आवंटियों द्वारा जो अब खातेदार दर्ज रिकोर्ड हैं मौके पर कभी काश्त नहीं की गई है।
4. अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन की शर्तो का पालन हीं किया गया है।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

उपरोक्त विवचेन एवं तहसीलदार बाडी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थीगण को किया गया आवंटन निरस्त किया जाना उचित समझते हैं ।

अतः अप्रार्थी केदार पुत्र कोकसिंह, हरीसिंह पुत्र सिरमौहर जातिगण गुर्जर निवासीगण म्हौरी तहसील बाडी जिला धौलपुर को आराजी खसरा नम्बर 505 वाके ग्राम मौहारी तहसील बाडी में से दिनांक 6.9.1975 को किया गया 5 बीघा 5 बीघा का आवंटन निरस्त किया जाता है। तहसीलदार बाडी को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त आराजी को राजस्व रिकोर्ड में आवंटन से पूर्व की स्थिति दर्ज करें । पत्रावली फैसल शुमार हो । बाद तामील दाखिल दफतर हो । नम्बर से कम जी जावे ।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(एस.पी. पहाडिया)
जिला कलक्टर, धौलपुर ।